email_id : dcourtkhd-mp@nic.in Phone No. : 0733-2921001

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा (म0प्र0)

–:: विविध आदेश ::–

क्रमांकः 71 /को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 31 मई, 2021

विषय :– दिनांक 1 जून 2021 से 15 जून 2021 तक न्यायालयों में होने वाली सुनवाई बाबत्।

संदर्भ :– माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये जारी मानक संचालन/सुनवाई प्रक्रिया संबंधी परिपत्र क्रमांक ए/113 जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी, 2021, क्रमांक ए/1149 जबलपुर दिनांक 03.04.2021 एवं अतिरिक्त एसओपी दिनांक 24.04.2021.

.....000.....

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर से जारी संदर्भित परिपत्र के अनुपालन में तथा म.प्र. शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के परिपत्र क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2, भोपाल दिनांक 29 मई, 2021 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 11–09/2020/1–9 भोपाल दिनांक 30.05.2021 के परिप्रेक्ष्य में मैं, एल0डी0 बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा जिला न्यायालय पूर्व निमाड़ खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, उप–तहसील मांधाता (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा के विषयांकित अवधि में न्यायिक कार्य के संचालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक कार्य दिवस में नियमित रूप से सुनवाई हेतु निम्नानुसार निर्देश–आदेश जारी करता हूं कि :–

(1) प्रत्येक न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयानुसार कार्यरत् रहेंगे। कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक न्यायालय द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में उतने ही प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जावें, जिनमें कि सुनवाई सहजता से सुनिश्चित की जा सकें और अनावश्यक भीड़ न रहें। **(प्रत्येक कार्य दिवस के लिये कार्ययोजना का उल्लेख आगे किया जा रहा है)**

(2) प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश एवं न्यायालय में पदस्थ तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के द्वारा संदर्भित आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

(3) प्रत्येक न्यायालय के समक्ष प्रत्येक कार्य दिवस हेतु सुनवाई के लिये जाने वाले प्रकरणों की कॉजलिस्ट प्रत्येक दिवस स्क्रीन पर निरन्तर दिखाई जावेगी, आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऐसी कॉजलिस्ट न्यायालय में सूचना पटल पर चस्पा की जा सकेगी। यह प्रयास किया जावें कि आगामी कार्य दिवस में सुनवाई हेतु नियत मामलों की कॉजलिस्ट वर्तमान में प्रभावशील व्यवस्था को निरन्तर रखते हुए एक दिन पूर्व शाम 4.00 बजे से ही स्क्रीन पर दिखाई देने लगे, पक्षकार और उनके विद्वान अभिभाषक के ज्ञात मोबाइल नंबर भी यथासंभव सूचना **एसएमएस** के माध्यम से दी जावें।

(4) न्यायालयीन अभिलेख/आदेश पत्रिका/कथन पत्रिका में पक्षकारों, गवाहों तथा योग्य अभिभाषकगण के हस्ताक्षर लिये जाने की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी अर्थात् जहां किसी नियम या विधि में आज्ञापक हो, तभी ऐसे हस्ताक्षर लिये जा सकेंगे।

(5) जब तक विशेष रूप से निर्दिष्ट/न्यायालयीन आदेश अनुसार अनिवार्यता न हो, तब तक कारागार में निरूद्ध अभियुक्त की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही मान्य की जावे। प्रथम बार के पुलिस/न्यायिक रिमाण्ड को छोड़कर आगामी प्रत्येक

रिमाण्ड हेतु अभियुक्त की उपस्थिति न्यायिक कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनिश्चित की जावे। **(यदि कोई अभियुक्त पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है, तब उस दशा में किसी भी प्रकार की अभिरक्षा हेतु न्यायालय के समक्ष प्रोडक्शन वारंट से ऐसे अभियुक्त को बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी)**

(6) न्यायालय परिसर में उपस्थित अभिभाषकगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पक्षकारगण और अन्य हितग्राही आदि ही सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हों। **(इस हेतु गठित समिति के सभी सदस्य इस पर सतत् निगरानी और नियंत्रण रखेंगे, ऐसा करने के लिए वे हरसंभव उपाय करेंगे और आवश्यकतानुसार ऐसे उपाय करने और उसकी आवश्यकता होने की जानकारी जिला न्यायाधीश को अविलंब देंगे)** वे ही पक्षकार न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे, जिन्हें की न्यायालय द्वारा किसी मामले में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया हो।

(7) ऐसे न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण एवं उनके लिपिकवर्गीय कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पक्षकारगण, साक्षी की हैसियत से अथवा अभिलेख पेश करने हेतु उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें कि क्वारंटाईन/आइसोलेट रहने के लिए निर्देश हैं; वे न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। यहां तक कि इनमें से कोई भी किसी प्रकार के फ्लू/फीवर से ग्रसित है तो न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण इसकी सूचना जिला न्यायाधीश को तथा अभिभाषकगण अपने संघ के अध्यक्ष, सचिव को और वे भी इसकी सूचना जिला न्यायाधीश को देंगे।

(8) न्यायालय परिसर में शराब, पान, गुटका या तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया निषिद्ध है, यदि कोई व्यक्ति ऐसी अवस्थाओं में पाया जावेगा, तो वह केन्द्र/राज्य सरकार के सुसंगत कानून/दिशा–निर्देशों के अनुसार अभियोजन/सजा हेतु उत्तरदायी रहेगा।

(9) न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण एवं उनके लिपिकवर्गीय कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पक्षकारगण, साक्षी की हैसियत से अथवा अभिलेख पेश करने हेतु उपस्थित होने वाले व्यक्ति निर्धारित फेस मास्क पहनेंगे या फेस **(नाक, मुंह)** को ढंककर रखेंगे। संबंधित प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष/सचिव/गठित समिति के सदस्य ऐसा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(10) **(अ)** न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण परिसर के गेट क्रमांक–3 से तथा अभिभाषकगण के लिपिकवर्गीय कर्मचारी, पक्षकारगण, साक्षी की हैसियत से अथवा अभिलेख पेश करने हेतु उपस्थित होने वाले व्यक्ति गेट क्रमांक–1 से प्रवेश करेंगे। प्रवेश द्वार क्रमांक–1 पर न्यायालयीन कर्मचारी थर्मल स्कैनर, सेनेटाईजर से सुसज्जित रहेंगे, थर्मल स्कैनर और सेनेटाईजर का आवश्यक उपयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति पाये जाने पर तत्काल प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करेंगे, वे उसे नोटशीट पर लेंगे और प्रभारी अधिकारी, नजारत/विशेष न्यायाधीश के माध्यम से जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(ब) अभिभाषक संघ खण्डवा के अध्यक्ष एवं सचिव महोदय से अपेक्षित है कि न्यायालय परिसर में उपस्थित होने वाले अभिभाषकगण तथा उनके लिपिक/मुंशी (जो कि पंजीकृत हैं) के थर्मल स्कैनर से जांच की व्यवस्था करेंगे और वे ही यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी न्यायालय परिसर में कार्य हेतु उपस्थित रहने के योग्य है अथवा नहीं। जांच में प्रतिकूल परिणाम की दशा में उन्हें परिसर में उपस्थित न रहने दिया जाये; इसकी सूचना भी

प्रभारी अधिकारी, नजारत को तत्काल दी जायें।

(स) न्यायालय परिसर मे स्थित न्यायालय भवन के निर्धारित स्थान पर वॉश बेसिन की व्यवस्था लिक्विड सोप के साथ की गई है। अतः जहां किसी भी न्यायालय में प्रवेश की आवश्यकता हो तो पक्षकार, साक्षीगण आदि प्रवेश के पूर्व ऐसे वॉश बेसिन का उपयोग करते हुए अपने हाथों को अच्छी तरह से धोयेंगे, तत्पश्चात् न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे।

(द) सभी न्यायालयीन कर्मचारी, अभिभाषकगण अपने–अपने स्थान पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्वयं भी संक्रमण से बचाव के उपाय द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि उनसे किसी भी प्रकार का संक्रमण फैलने की संभावना नहीं है। आवश्यकतानुसार चिकित्सा विभाग के उपलब्ध/उपस्थित कर्मचारी भी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उपरोक्त सभी व्यक्तियों की यथोचित जांच सुनिश्चित करेंगे।

(इ) न्यायालयीन अवकाश दिवस में अत्यावश्यक कार्य हेतु कार्य करने वाले रिमांड कोर्ट के न्यायालयीन कार्य के समय में भी उक्तानुसार व्यवस्था प्रभावशील रहेगी।

(11) सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्फ्यू/लाकडाउन/कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किये जाने की दशा में ऐसे क्षेत्रों के न्यायालय में नियमित सुनवाई नही की जा सकेगी। यद्यपि ऐसे स्थानों में अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई सुनिश्चित की जा सकेगी, जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय की ओर भी प्रेषित की जावेगी।

(12) **(अ)** न्यायालय परिसर में मात्र ऐसे पक्षकारों और उनके अधिवक्तागण को ही प्रवेश करने की अनुमति रहेगी, जिनके कि प्रकरण सुनवाई हेतु अधिसूचित, सूचीबद्ध किये गये हैं और इनके प्रवेश हेतु प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग के द्वारा न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर स्कैनर और सेनेटाईजर के समुचित उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जावेगी।

(ब) ऐसे अभिभाषकगण, जिन्हें कि नोटरी और शपथ आयुक्त का कार्य न्यायालय परिसर में निष्पादित करने की आवश्यकता होती है, तो अनावश्यक भीड़ न हो, इसलिए वे अपने इस कार्य के निष्पादन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.30 से 11.30, फिर दोपहर 02 से 02.30 तक, सायंकाल 04.00 से 05.00 बजे तक की अवधि में अपने इस कार्य का निष्पादन करेंगे, किन्तु इस कार्य के लिए न्यायालय परिसर में वे ही पक्षकार/व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे; जिनके कि पास संबंधित नोटरी, शपथ आयुक्त के द्वारा दिया गया एसएमएस या व्हाट्सएप पाया जावेगा।

(स) शपथ आयुक्त/नोटरी के दो दल बनाये जावे, एक दल प्रथम कार्य दिवस में कार्य करेंगे तो दूसरे दल आगामी कार्य दिवस में कार्य करेंगे। यह व्यवस्था अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी के सदस्य द्वारा मिलकर आगामी कार्य दिवस से ही सुनिश्चित की जावेगी।

(13) न्यायालय परिसर में स्थित रेस्टोरेंट, फोटोकॉपी की दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी, न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार के आस–पास भी ऐसे सब व्यावसायिक स्थल बन्द रखें जावेंगे। यदि ऐसे कोई भी व्यावसायिक स्थल खुले रहे और अनावश्यक भीड–भाड़ पाई गई अर्थात् कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रभावशील आवश्यक दिशा–निर्देश का उल्लंघन होने की दशा में ऐसे व्यावसायिक स्थल के स्वामी या व्यावसायी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

(14) **(अ)** अभिभाषक संघ के कक्ष में भी अनावश्यक प्रवेश, अभिभाषकगण के प्रत्येक बैठने के स्थान पर पक्षकारों की भीड़ पर नियंत्रण, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी के द्वारा रखा जावेगा। इस हेतु गठित समिति के द्वारा भी समय–समय पर आवश्यक उपाय किये जावेंगे।

(ब) कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा–निर्देशों का सम्यक रूप से पालन करते हुए अभिभाषक कक्ष, अभिभाषक चेंबर, लाइब्रेरी को खुला रखा जा सकता है। अध्यक्ष, सचिव अभिभाषक संघ यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्ष में आवश्यक सेनीटाईजेशन करवाया जावे एवं कक्ष में सीमित अभिभाषकों की ही उपस्थिति रहें।

(15) न्यायालय परिसर में आवश्यकतानुसार सेनेटाईजेशन, स्वच्छता नगर पालिक निगम तथा स्वास्थ्य संबंधी कार्य जिला चिकित्सालय, खण्डवा की सहायता से सुनिश्चित किया जावे। मुख्य प्रवेश द्वार, शौचालय, भवन के गलियारों में आवश्यकतानुसर हेण्डवॉश, सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे, जिससे कि किसी भी पक्षकार, व्यक्ति का न्यायालय कक्ष में प्रवेश नियंत्रित और संक्रमण रहित हो सकें।

(16) न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पक्षकारगण व अन्य हितग्राही आदि न्यायालय परिसर में सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए ही न्यायालय परिसर में कुर्सी/बेंचेस लगाई जावे। कर्मचारीगण भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने बैठने का स्थान सुनिश्चित करें।

(17) न्यायालय परिसर में स्थापित डिस्प्ले बोर्ड, सूचना एवं सुविधा के लिए संचालित रखें जायेंगे।

(18) प्रत्येक न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय एवं प्रकरणों में आगे नियत की गई तिथियों की जानकारी अविलंब जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जावें।

(19) **(अ)** राज्य शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, पक्षकारों, साक्षियों, योग्य अभिभाषकगण/वरिष्ठ अभिभाषकगण से अनुरोध है कि जब तक कोविड–19 के संक्रमण से बचाव रखते हुए न्यायालयीन कार्य का निष्पादन होना है, तब तक वे कृपया न्यायालय में प्रवेश नहीं करें, न्यायालय में उपस्थित रहने से स्वयं को बचायें, इससे कठोरतापूर्वक परहेज करें। **(जहां अनिवार्य आवश्यकता हो, न्यायालयीन आदेश हो, तभी संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए ही सीधे न्यायालय में, निर्धारित समय पर प्रवेश करें और कार्यवाही पूर्णता उपरांत न्यायालय परिसर से निर्गम करे)**

(ब) इस आयु वाले अथवा अधिक आयु वाले अभिभाषकगण चाहे तो वे जित्सी/विडियो एप/गूगल मीट्स या अन्य मैंसेजर संचार माध्यम से संबंधित न्यायालय से जुड़कर अपने निवास स्थान या कार्यालय से ही अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

(20) न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार के भोज आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाने की अनुमति नहीं रहेगी। **(राष्ट्रीय महत्व के आयोजन जैसे झण्डावंदन आदि नियमानुसार, संक्रमण से बचाव के सभी उपाय के अधीन किये जा सकेंगे)**

(21) यदि कोई अभिभाषक या पक्षकार कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध म0प्र0 राज्य अधिवक्ता संघ एवं संबंधित अधिवक्ता संघ तथा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 को

यथोचित कार्यवाही हेतु सूचित किया जावेगा।

(22) दिशा–निर्देश, आदेश पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन अभिभाषक संघ, खण्डवा के अध्यक्ष और सचिव की सहमति से किया जाता है कि :–

(1) वरिष्ठ न्यायाधीश :– श्री पी.सी. आर्य, विशेष न्यायाधीश

(2) अभिभाषक संघ द्वारा नामित अभिभाषक:– श्री लखन मण्डलोई, अधिवक्ता

(3) जिला न्यायालय के कर्मचारी :– श्री हरीश उत्तानी, प्रशासनिक अधिकारी
और इनके अवकाश पर रहने की दशा में
श्री आर.के. शर्मा, उप–प्रशासनिक अधि.

तहसील मुख्यालय हरसूद, पुनासा, मांधाता (ओंकारेश्वर) हेतु संदर्भित परिपत्र के पालन में ऐसी समिति का गठन ऐसे स्थान पर कार्यरत्/वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा जिस प्रकार से किया गया है, उसी प्रकार से यथावत रहेगा।

(23) इस विविध आदेश की **कंडिका–01** (उपरोक्त) के अनुसार सिविल एवं दांडिक मामलों में सुनवाई की कार्य व्यवस्था निम्नानुसार रखी जा सकेगी :–

(i) विचाराधीन बंदियों के प्रकरण, जिनमें धारा 313 दं.प्र.सं. में परीक्षा करना है, अंतिम तर्क सुने जाना, निर्णय दिया जाना है तथा जमानत, सुपुर्दगी संबंधी, संक्षिप्त विचारण के प्रकरण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार निर्देशित किये गये मामलों को सुनवाई में प्राथमिकता दी जावेगी।

(ii) धारा 125, 128 दंड प्रक्रिया संहिता, घरेलू हिंसा अधिनियम, दांडिक अपील, पुनरीक्षण याचिक (दांडिक), महिलाओं और वृद्धजनों से संबंधित प्रकरण (जिनमें वे फरियादी हो) को नियमित सुनवाई में रखा जावेगा, वे ही मामले सुनवाई में लिये जावें, जिनमें भौतिक सुनवाई की आवश्यकता न पड़े।

(iii) उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र, पारिवारिक (वैवाहिक) विवाद, सिविल अपील, सिविल विविध अपील, मोटर दुर्घटना से उत्पन्न क्षतिपूर्ति प्रकरण, जिनमें साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता न हो अर्थात वी.सी. के माध्यम से सुनवाई की जा सकती है।

(iv) ऐसे सिविल वाद, जिनमें अत्यावश्यक एवं तात्कालिक अनुतोष की आवश्यकता है, ऐसे आवेदनपत्र भी प्रत्येक कार्य दिवस में अधिकतम 01.30 बजे तक पेश करना सुनिश्चित किया जावें।

(v) ऐसे सिविल व दांडिक मामले, जिनमें कि राजीनामा पेश किया जा रहा हो और ऐसे राजीनामा के आधार पर प्रकरण का तत्काल निराकरण हो रहा हो।

(vi) ऐसे सिविल, दांडिक, क्लेम, भूअर्जन संबंधी प्रकरण, जिनमे कि मात्र वी.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क सुनकर ऐसे प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

(vii) सभी प्रकार के जमानत आवेदनपत्र, सुपुर्दगी आवेदनपत्र भी प्रत्येक कार्य दिवस में अधिकतम 01.30 बजे तक पेश करना सुनिश्चित किया जावें।

नोट– प्रत्येक न्यायालय में सीमित संख्या में उतने ही मामले सुनवाई हेतु लगाये जा सकेंगे, जिनमें कि कम समय के भीतर और सहजता से, अनावश्यक भीड़ एकत्रित किये बिना सुनवाई पूर्ण की जा सके। यदि किसी न्यायालय में संक्षिप्त विचारण

प्रकृति के मामले अधिक मात्रा में पेश होते हैं तो उसकी सूचना तत्काल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी जावेगी, जिससे कि ऐसे प्रकरण अन्य न्यायालय में तत्काल अंतरित कर उनका त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।

(24) फाईलिंग काउंटर पर पेश किये जाने वाले प्रत्येक मामलों/इश्तगासा के अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रलेख प्रमाण/परिवादपत्र (जिनमें विधि द्वारा निर्धारित समयावधि समाप्त हो रही हो) प्रस्तुति के पूर्व संबंधित पुलिस थाना के द्वारा भी उन्हें संक्रमण मुक्त किया जावें और भारसाधक अधिकारी का यह प्रमाण–पत्र पृथक से पेश किया जावे कि–

"यह प्रमाणित किया जाता है कि अभियोगपत्र व प्रलेख प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुति के पूर्व उसे निर्धारित रीति से संक्रमण मुक्त किया गया है।"

हस्ताक्षर व मोहर

सही/-

(एल0डी0 बोरासी)
प्रधान जिला न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

पृष्ठां.क0 1044/को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 31 मई, 2021

<u>प्रतिलिपि</u> :–

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम् सिविल जज वर्ग–1, खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग–2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला न्यायालय खंडवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
04. कलेक्टर, जिला खण्डवा,
05. पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा,
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा,
08. आयुक्त, नगर पालिका निगम, खण्डवा,
09. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा,
10. लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय, खण्डवा,
11. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, खण्डवा,
12. अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा,
13. प्रशासनिक/उप–प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

******